

बिहार सरकार

विधि विभाग

## ।। कार्यालय आदेश ।।

का०आ०सं०-बी०/मु०स्था-2 5/2006/09/जे०, पटना, दिनांक-22.01.2015

श्री राजा रत्नेश, निम्न वर्गीय लिपिक, विधि विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति पूर्व प्रतिनियुक्ति बिहार राज्य विधि आयोग का कार्यालय) के द्वारा दिनांक-13.08.2014 से लगातार दिनांक-19.01.2015 तक की अनुपस्थिति के उपरान्त उनके द्वारा दिनांक-20.01.2015 को समर्पित योगदान स्वीकृत किया जाता है।

2. श्री रत्नेश को प्रशाखा सी०-1, प्रशाखा सी०-2 के पत्रों एवं संचिकाओं का डायरी कार्य और अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी कोषांग के संचिकाओं के गति पंजी संधारण का कार्य आवंटित किया जाता है।

3. श्री विश्वजीत कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक, विधि विभाग, बिहार, पटना को अपने अन्य आवंटित कार्य के अतिरिक्त श्री अजय कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक, विधि विभाग, बिहार, पटना के साथ प्रेषण शाखा में सम्बद्ध किया जाता है।

ह०/-सुरेन्द्र कुमार

सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-...../जे०, पटना, दिनांक-.....,

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-सुरेन्द्र कुमार

सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-...../जे०, पटना, दिनांक-.....,

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विधि विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, विधि विभाग (दो प्रति में), बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी सी०-1, सी०-2, विधि विभाग, बिहार, पटना/श्री राजा रत्नेश, निम्न वर्गीय लिपिक/श्री अजय कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक/श्री विश्वजीत कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक/सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-सुरेन्द्र कुमार

सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-...../जे०, पटना, दिनांक-...22/01/15.....,

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, निदेश दिया जाता है कि श्री राजा रत्नेश, निम्न वर्गीय लिपिक, विधि विभाग, बिहार, पटना की उपस्थिति CTMIS पत्रक में दर्ज कराने हेतु आवश्यक अग्रोत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

सुरेन्द्र कुमार  
22-1-2015

(सुरेन्द्र कुमार)

सरकार के अवर सचिव, बिहार।  
21/1/15